



पत्र सं०-32/एल०ए०सी०/एच०क्यू०/

**नोटिस**

दिनांक: 15.04.2022

[ उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा - 28 के अन्तर्गत नोटिस ]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद ने अयोध्या नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास, गृह स्थान एवं बाजार 'पूरक' योजना अयोध्या" बनायी है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं:-

**उत्तर-** खसरा संख्या-806, 807, 808, 893भाग, 1017भाग, 1018भाग, 1020भाग, 1021भाग, 1021/1602भाग एवं 1027भाग, ग्राम- मांझा बरहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला- अयोध्या।

**पूरब-** खसरा संख्या 1034, 1033, 1028, 1090, 1091, 1092, 1070, 1069, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1054 एवं 1052भाग ग्राम- मांझा बरहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला- अयोध्या एवं सरयू नदी तटबंध (खसरा सं०-3), ग्राम- मांझा तिहुरा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला- अयोध्या।

**दक्षिण-** सरयू नदी तटबंध (खसरा सं०-3), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या-2315/एल०ए०सी०/एच०क्यू०/ दिनांक 09.10.2020 द्वारा भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत अधिसूचित योजना की उत्तरी सीमा (खसरा संख्या- 3, 5, 6, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 187, 188, 189, 216, 217, 218, 809 एवं 810 ग्राम- मांझा तिहुरा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला- अयोध्या व खसरा संख्या-1289, 1293, 1294, 1295, 1297, 1309, 1302, 1306, 1402भाग, 1542 भाग एवं 1541 ग्राम- मांझा बरहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला- अयोध्या)

**पश्चिम-** उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के भूमि अर्जन अनुभाग द्वारा जारी नोटिस संख्या-2315/एल०ए०सी०/एच०क्यू०/दिनांक 09.10.2020 द्वारा भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत अधिसूचित योजना की उत्तरी सीमा (खसरा सं०- 1536भाग, 1535भाग, 1529भाग, 1528भाग, 1525भाग 1523भाग, 1522भाग, 1404भाग, 1405भाग, 1401भाग, 1402भाग, 1321भाग, 1322भाग, 1323भाग, 1334भाग, 1330भाग, 1326भाग, 1332भाग, 1397भाग, 1356भाग, 1355भाग, 1354भाग, 1348भाग, 1350भाग, 1351भाग) व खसरा संख्या-936भाग, 1010भाग, 1009भाग, 1008भाग, 1006भाग, 1013भाग, 1001भाग, 988भाग, 1000भाग, 999भाग, 996भाग, एवं 893भाग, ग्राम-मांझा बरहटा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला- अयोध्या।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड अयोध्या-01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड अयोध्या-01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 5/16/22 चाणक्यपुरी अयोध्या में ली जायेगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

आवास आयुक्त